अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

लेखराज पिता हरनाथ मीणा नि. बिन्ध्याभाटा
बनाम
रामकिशन पिता भूरा मीणा नि. बिन्दी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.   मुकदमा नं. 28 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
08.01.20	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर मे आ0 न0 2998, 3853, 3861, 3862, 3893 कुल किता 5 रकबा 05.05 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक / प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल / संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में आ0 न0 2998, 3853, 3861, 3862, 3893 कुल किता 5 रकबा 05.05 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 600 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनाक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: jahazpur